4

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 131 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. घीसूलाल पुत्र रूपाराम जाति लवार निवासी— ग्राम भैसाणा तहसील सोजत जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक — 07/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भैसाणा, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 726 रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा संख्या 727 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की आई हुई स्थित है, उपरोक्त दोनो खसराजात की भूमि में प्रार्थी का 01/04—01/04 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का निहित है, जो राजस्व रेकार्ड में घीसाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर त्रुटीवश घीसाराम पुत्र रूगाराम दर्ज है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ भूमि के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 726 व 727 की कृषि भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान में प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम घीसाराम पुत्र रूपाराम जाति लवार इन्द्राजसुदा था, जो कि प्रस्तुत खसरा मिलान से बखुबी स्पष्ट है, लेकिन सेटलमेन्ट पश्चात् जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी तैयार की गई, उक्त जमाबंदी में सदभाविक, पैन ऑफ स्लीप की त्रुटी से प्रार्थी का नाम घीसालाल पुत्र रूपाराम के स्थान पर घीसाराम पुत्र रूगाराम त्रुटीवश दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक, दस्तावेजी नाम घीसालाल पुत्र रूपाराम ही है तथा उक्त घीसालाल ही उक्त भूमि का वास्तविक खातेदार है। प्रार्थी का ही उक्त भूमि पर अपने हिस्से माफिक कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग है। सेटलमेन्ट पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी तैयार करते वक्त पैन ऑफ त्रुटी से घीसालाल की वल्दीयत रूपाराम के स्थान पर रूगाराम दर्ज कर दी, जो निरंतर उक्त त्रुटि आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अनपढ़, निरक्षर व्यक्ति होने से उक्त त्रुटी के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सका। प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि के संबध में ऋण की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का से माह नवंबर 2021 में सम्पर्क किया, जिस पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त कृषिं भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम घीसालाल वल्द रूपाराम के स्थान पर घीसाराम पुत्र रूगाराम दर्ज होने की जानकारी दी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि की तमाम राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलियां दिनांक 23.11.2021 व 22.11.2021 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि सेटलमेन्ट पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

घीसालाल पुत्र रूपाराम के स्थान घीसाराम पुत्र रूगाराम दर्ज कर दिया, इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त त्रुटी के संबंध में जानकारी नहीं थी, जबकि उपरोक्त कृषि भूमि की जो राजस्व बंदोबस्त की पास बुक दिनांक 23.07.1987 को जारीसुदा है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम घीसालाल पुत्र रूपाराम दर्ज है, इसी प्रकार प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम घीसालाल वल्द रूपाराम ही अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम घीसालाल पुत्र रूपाराम ही है, इसलिए प्रार्थी उक्त त्रुटी को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम भैसाणा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 726 रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा संख्या 727 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रकर्ड में दर्ज घीसाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर घीसुलाल पुत्र रूपाराम से रेकर्ड दुरूस्त किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर प्रार्थना पत्र राजस्व दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पैरा संख्या 01 आंशिक स्वीकार कर अन्य पैराज स्वयं सिद्ध करना अंकित करते हुये कानूनी होना बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि ग्राम भैसाणा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 726 रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा संख्या 727 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रकर्ड में दर्ज घीसाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर घीसुलाल पुत्र रूपाराम से रेकर्ड दुरूस्त किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी की बैंक डायरी, प्रार्थी का आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रतियां तथा वादस्थ कृषि भूमि के खसरा मिलान, खसरा नम्बर 726,727 संवत् 2047 से 2050 व संवत् 2051 से 2054 व संवत् 2055 से 2058, संवत 2059, संवत 2075 से 2078 की प्रमाणित जमाबंदीयां आदि दस्तावेजात पेश किए हैं जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। सरहद मौजा भैसाणा के सेटलमेन्ट विभाग के खसरा मिलान में प्रार्थी के नाम घीसा व वल्दियत रूपा दर्ज सुदा है। खसरा नम्बर 727 की पास बुक में भी प्रार्थी का नाम घीसूलाल पुत्र रूपाराम दर्ज सुदा है। जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में प्रार्थी के पिता का नाम रूपा के स्थान पर रूगा दर्ज कर दिया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम भैसाणा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 726 रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा संख्या 727 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रकर्ड में दर्ज घीसाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर घीसुलाल पुत्र रूपाराम के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम भैसाणा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 726 रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा संख्या 727 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रकर्ड में दर्ज घीसाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर घीसुलाल पुत्र रूपाराम से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दुरूस्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 07/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)